राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1 (8)वित्त/साविलेनि/2011

जयपुर, दिनांक : 26.12.2012
परिपत्र संख्या : 39/2012

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) की धारा 17 के तहत राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल बनाया जाकर इस विभाग के परिपत्र संख्या 38/2012 दिनांक 21.12.2012 के द्वारा दिनांक 1.1.2013 से उक्त पोर्टल पर लोक उपापन (Goods, Works & Services) से संबंधित, Notice Inviting Bid (NIB) से लेकर कार्यादेश (Work Award) जारी कराने की प्रक्रिया एक्ट एवं नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित की जानी है।

इस हेतु समस्त विभागों/संस्थानों को नोडल अधिकारी घोषित कर sppp-2 प्रपत्र में सूचना इस कार्यालय को प्रेषित कराने हेतु परिपत्र क्रमांक 37/2012 दिनांक 19.12.2012 से लिखा जा चुका है। प्राप्त सूचनानुसार सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को user ID एवं पासवर्ड जारी कराने की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारंभ की जाकर आवंटित user ID एवं पासवर्ड संबंधित e-mail पर प्रेषित कर दिये हैं।

नोडल अधिकारी अपने अधीन उपापन संस्था को निम्न प्रक्रियानुसार user ID एवं पासवर्ड जारी करेंगे। सर्वप्रथम SPPP(State Public Procurement Portal) पर पहुचने के लिए web address "http://sppp.raj.nic.in" पर access करें। उक्त पोर्टल के Home Page के Open होने पर user help पर उपापन संस्थाओं को यूजर आईडी, पास वर्ड जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया उल्लेखित हैं। इसके पश्चात् Home Page के मीनू बार के दाहिने हाथ पर साईन इन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर login creation window खुलेगी, इस window में user help पर दी गई प्रक्रियानुसार संबंधित नोडल अधिकारी अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ उपापन संस्था (HOD/HOO/DDO) जिसे एक्ट की धारा 3 की उपधारा 2 में उपापन संस्था (Procuring entity) कहा गया है, से भरवाये गये SPPP-3 की सूचना के अनुसार user ID व pass word जारी करने की कार्यवाही करेंगे। संबंधित उपापन संस्था एक्ट की धारा 17 के अनुसार नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये

32

user ID व password का प्रयोग करते हुए वांछित सूचना पोर्टल पर अपलोड करेगी। यदि सहवन से कोई गलत सूचना अपलोड की गई है तो संबंधित नोडल अधिकारी उस सूचना को पोर्टल से हटा कर परिवर्तन/संशोधन की सूचना पोर्टल पर भी डालेगा, साथ ही पोर्टल से अपलोड की गई कोई सूचना हटाने की कार्यवाही के कारण सहित वित्त (SPFC) विभाग को e-mail ID - caospfc@gmail.com पर प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त Procurring entity के परिवर्तन के कारण या अन्य कारण से user ID व password बदलना पडे तो यह कार्य नोडल अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

अतः समस्त विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों/बोर्ड/सोसायटी आदि से अपेक्षा है कि उक्त पोर्टल को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार संधारण की कार्यवाही 1 जनवरी, 2013 से पूर्व निष्पादित कराये जाने की व्यवस्था करावें। उपापन नियम (Procurement Rules) लागू कराये जाने से पूर्व उक्त पोर्टल पर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रोक्योरमेंट से संबंधित सूचनाओं को अपलोड किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर । 4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर । 6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. सिस्टम एनालिस्ट,, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC शासन सचिवालय, जयपुर।
18. तकनीकि निदेशक, NIC शासन सचिवालय, जयपुर।

वरिष्ठ लेखाधिकारी